

पीत पत्र के बदले में

सं०सं०-1/उ०नि० नियुक्ति 03-04/2018

आई०टी० प्रबंधक,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- उद्योग विस्तार पदाधिकारी एवं कनीय सांख्यिकी सहायक के पद पर नियुक्ति के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति उद्योग विभाग के विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

उद्योग विस्तार पदाधिकारी एवं कनीय सांख्यिकी सहायक के पद पर नियुक्ति से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति की छायाप्रति एवं अभ्यर्थियों को प्रेषित Call Letter, उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र का विहित प्रपत्र/आचरण एवं पुलिस सत्यापन से संबंधित शपथ पत्र के विहित प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि इसे उद्योग विभाग के बेवसाइट पर अपलोड किया जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

Pr
14/09/18
(प्रकाश टोप्पो),
संयुक्त उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

सं०सं०-1/उ०नि० नियुक्ति 03-04/2018

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा आयोजित द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 (विज्ञापन संख्या 07070114) के आधार पर उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना अन्तर्गत उद्योग विस्तार पदाधिकारी एवं कनीय सांख्यिकी सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों का सत्यापन (Certificate Verification) एतदर्थ गठित समिति द्वारा विकास भवन, न्यू सचिवालय, उद्योग विभाग के सभाकक्ष में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा :-

उद्योग विस्तार पदाधिकारी :-

जाँच की तिथि एवं समय	रौल नम्बर (Roll No)			
27.09.2018 (गुरुवार) 10:30 पूर्वाह्न	114011	111184	115370	102398
	115677	100408	110803	109217
	111600	108339	115865	114700
	110800	109695	113296	106008
	110516	116294	109531	114867
	104756	103978	117213	102023
	106176	110400	107750	108639
	107696	117045	111253	104946
	102470	104913	113765	114726

जाँच की तिथि एवं समय	रौल नम्बर (Roll No)			
28.09.18 (शुक्रवार) 10:30 पूर्वाह्न	100748	111254	106796	111218
	110076	106636	101770	114178
	102698	102578	100614	100241
	105778	115761	110655	109328
	109659	105854	116265	109400
	105426	104914	110720	112103
	104274	117220	101082	105934
	104570	107190	107036	111812
	115643	116564	-	-

कनीय सांख्यिकी सहायक

जाँच की तिथि एवं समय	रौल नम्बर (Roll No)			
28.09.18 (शुक्रवार) 10:30 पूर्वाह्न	102489	105285	114599	100145


प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी छायाप्रतियों की दो-दो स्व अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाएं।

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
2. इंटरमीडिएट एवं स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

कृ०पृ०उ०

3. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
4. अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हो तो नियोक्ता (Employer) से अनापति प्रमाण पत्र।
5. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए)।
6. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु)
7. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card)
8. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
9. पूर्ण रूप में भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में)। विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
10. पासपोर्ट साईज का अभ्यर्थी का नाम प्रिंटेड रंगीन फोटो 5 (पाँच) प्रति में।
11. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है। उक्त शपथ का विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
12. जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
13. प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जाँच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नोट :-यदि अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों के साथ जाँच हेतु उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता के विरुद्ध विधि सम्मत निर्णय ले लिए जायेंगे।


 उद्योग निदेशक,
 बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

सं०सं०-1/उ०नि० नियुक्ति-03-04/18

पत्रांक- 3183

/पटना, दिनांक 13.9.18

प्रेषक,

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री

रौल नं०-

अनुशंसित पद-.....

पिता/पति-

ग्राम/नगर-

डाकघर-

जिला- राज्य पिन कोड

विषय:-

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा आयोजित द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 के आधार पर उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना अंतर्गत उद्योग विस्तार पदाधिकारी एवं कनीय सांख्यिकी सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 के आधार पर उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना अंतर्गत उद्योग विस्तार पदाधिकारी एवं कनीय सांख्यिकी सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्यक्रम दिनांक- 27.09.18 एवं 28.09.18 को निर्धारित किया गया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना उद्योग विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

2. एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उद्योग विभाग, विकास भवन, न्यू सचिवालय, पटना में निर्धारित तिथि एवं समय पर निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी दो-दो स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हो :-


1. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
2. इंटरमीडिएट एवं स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
3. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
4. अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हो तो नियोक्त (Employer) से अनापति प्रमाण पत्र।

कृ०पृ०उ०

5. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए)।
6. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु)
7. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card)
8. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
9. पूर्ण रूप में भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में)। विहित प्रपत्र विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध है।
10. पासपोर्ट साईज का अभ्यर्थी का नाम प्रिंटेड रंगीन फोटो 5 (पाँच) प्रति में।
11. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है। उक्त शपथ का विहित प्रपत्र विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध है।
12. जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
13. प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जाँच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


नोट :- यदि अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों के साथ जाँच हेतु उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता के विरुद्ध विधि सम्मत निर्णय ले लिए जायेंगे।

शुभकामनाओं सहित।


 उद्योग निदेशक,
 बिहार, पटना।

सत्यापन प्रपत्र

पासपोर्ट आकार की एक
अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो प्रति



चेतावनी

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।
2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष-मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।
3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वामादिक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

1. उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम (यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुलनाम
कुलनाम में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें) नाम
2. वर्तमान पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०,
गली / स्ट्रीट / सड़क तथा शहर
3. (क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान
नं०, गली / स्ट्रीट / सड़क व शहर और जिला मुख्यालय का नाम
(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश (पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का
निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहाँ से भारत आने
की तारीख का उल्लेख करें।
4. गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें (आवास-अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से
अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य
देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।

से	तक	आवास का पूरा पता (अर्थात गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं० गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर)	पूर्व कालम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4

5.

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और /अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय (यदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता (दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थाई पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता (उपनामों सहित यदि कोई हो)					
(ख) माँ					
(ग) पत्नी/पति					
(घ) भाई					
(ङ) बहन/बहनें।					

6. उस पुत्र/ पुत्रों और पुत्री/पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं:-

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और /अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	जिस देश में पढ़ रहे/रह रहे हैं, उसका पूरा पता	पूर्व कालम में उल्लिखित देश में कब से पढ़ रहे/रह रहे हैं
1	2	3	4	5

7. राष्ट्रीयता

- (क) जन्मतिथि (क)
- (ख) वर्तमान आयु (ख)
- (ग) मैट्रीकुलेशन के प्रमाण-पत्र में दी गई आयु (ग)
-
8. (क) जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान (क)
- (ख) आप किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं। (ख)
- (ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं। (ग)
-
- (क) आपका धर्म
- (ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति से सम्बद्ध हैं। जिससे संबद्ध हों, उसका नाम लिखें।

10. 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कालेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें।

पूरे पते सहित स्कूलों/कॉलेजों के नाम	स्कूल/कॉलेज में प्रवेश की तारीख	स्कूल/कॉलेज छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की

11. (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय, अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं। यदि हाँ तो सेवा की तारीखों सहित पूर्ण अद्यतन ब्योरा दें।

अवधि से तक	पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण

11. (ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार/किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी।

(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है? क्या नोटिस दिए जाने अथवा सेवा समाप्त किए जाने से पूर्व बाद की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण माँगा गया।

12. (i) (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ? हाँ/नहीं
- (ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है ? हाँ/नहीं

